न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा,

[स्थायी रूप से रक्षणीय]

[बोर्ड के आदेश सं० ४११६ बी० ता० १२-८-११ में अनुमोदित]

संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण ।

फौजदारी विभाग

SAR- 05 / 2018-19

मनोज खड़िया वगैरह ---- बनाम ---- दसनोद टेटे

कोलेबिरा — कोलेबिरा

CNT-ACT

				22/2/2022		25-8-18
						26-9-18
						24-10-18
						12-12-18
						16-01-019
						23-1-19
						27-2-19
						29-5-19
						17-7-19
						11-9-19
						13-11-19
						15-4-20
						10/2/2021
						31/3/2021
						23/6/2021
						11/8/2021
						13/10/2021
						11-12-21
						25/2/2022

न्यायालय अनुमण्ड़ल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

अनुसूची–14 फारम सं0 562 (विधि शाखा)

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता0 .... से .... तक

जिला–सिमडेगा ....सन..........................

केश का प्रकार SAR 05/2018-19

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
14·6·18	श्री मनोज खड़िया @ सुधीर करकेट्टा पिता स्व० फागु खड़िया साकिन कोलेबीरा पुजारटोली थाना कोलेबीरा जिला–सिमडेगा ने आवेदन–पत्र दिया हैं कि निम्नलिखित जमीन को नाजायज तरीके से विपक्षी विनोद टेटे पिता स्व० कन्दरा टेटे साकिन कोलेबीरा थाना कोलेबीरा जिला–सिमडेगा ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत वापस दिलाने का अनुरोध करते हैं। विपक्षी को न्यायालय में उपस्थित होने एवं कारण–पृक्षा दाखिल करने हेतु सम्मन निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 25·7·18 को उपस्थापित करें। ग्राम — खाता सं0 — प्लॉट सं0 — रकबा कोलेबीरा — 225 — 1378 — 1·50 — 226 — 1376 — 0·33 कुल 1·83 एकड़ अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।	6/7/18

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

वाद सं0–एस0ए0आर005/2018–19
दिनांक.....

मनोज खड़िया वगै0
बनाम
विनोद टेटे

आदेश

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक मनोज खड़िया पिता–स्व0 फागु खड़िया ग्राम–कोलेबिरा पुजारटोली, अंचल–कोलेबिरा, थाना–कोलेबिरा, जिला–सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदक का कथन है कि विपक्षी विनोद टेटे, पिता–स्व0 कन्दरा टेटे, ग्राम–कोलेबिरा, थाना–कोलेबिरा, जिला–सिमडेगा ने अवैध तरीके से उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया हैं। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के तहत् वापस दिलवाने का अनुरोध किया हैं। वाद सं0–05/2018–19 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि की विवरणी निम्नवत हैं:–

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
कोलेबिरा	225	1378	1.50 एकड़
	226	1376	0.33 एकड़
			कुलः–1.83 एकड़

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, कोलेबिरा को इस न्यायालय के पत्रांक 352(ii)/विधि, दिनांक 15.06.2018 द्वारा उपर्युक्त अंकित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल कार्यालय, कोलेबिरा के पत्रांक–446(ii)/रा0, दिनांक 04.09.2018 द्वारा राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदनानुसार न्यायालय को प्रतिवेदित किया है कि खतियानी रैयत का नाम बकाश्त भूईहरी, नाम लगान पाने वाला जीतु पहान वगै0 है। आवेदक जीतु पहान के परपोता है। प्रश्नगत् भूमि का अद्यतन जमाबंदी दाखिल खारिज वाद सं0–48R27/1983-84 के अनुसार जाकु खड़िया, पिता–दसई खड़िया के नाम से दर्ज है। वर्त्तमान जमाबंदीदार ने बजरिए रजिस्ट्री पट्टा, पट्टा सं0–801, दिनांक 09.09.1981 के द्वारा प्राप्त है। विपक्षी प्रश्नगत् भूमि पर मकान बनाकर एवं कुआं निर्माण कर बगवानी करते हुए दखलकार है। विपक्षी पंजी–II रैयत जाकु खड़िया के पोता है। विपक्षी का प्रश्नगत् सम्पूर्ण भूमि पर दखल वा कब्जा है। यह दखल–कब्जा वर्ष–1981 से है। प्रश्नगत् भूमि पर मकान 1981 ई0 में बना है। जो कि कच्चा मकान है, एवं 0.06 एकड़ जमीन पर बना है। राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन पर अंचल निरीक्षक के द्वारा अनुशंसित करते हुए बतलाया गया है कि आवेदित भूमि बकाश्त भूईहरी खाते की है। उभय पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। वर्त्तमान जमाबंदीदार का भूमि पट्टा सं0–801, दिनांक 09.09.1981 द्वारा प्राप्त है। अभी उसी का कब्जा है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा न्यायालय में समर्पित जवाब दाखिल किया गया। लिखित जवाब में उल्लेखित किया गया है कि:–

कृ0पृ0उ0

Scanned with CamScanner

1. विपक्षी के दादा जाकु खड़िया ने आवेदकगण के दादा ढकना पुजार से रैयती हासिल किया था। जिसका परमिशन एस0डी0ओ0, सिमडेगा के सी0एन0टी0 सं0–50/1981–82 जिसका आदेश दिनांक 17.07.1981 को हुआ था, तथा जमीन का निबंधन पदेन अवर निबंधक, सिमडेगा के कार्यालय में दिनांक 23.12.1981 को हुआ। जिसका बही सं0–1 जिल्द सं0–4, पृष्ठ सं0–397 से 398 तक तथा निबंधन सं0–801/818 है।
2. जमीन का निबंधन के पश्चात् विपक्षी के दादा जाकु खड़िया ने अंचल कार्यालय, सिमडेगा में दाखिल–खारिज हेतु आवेदन दिया। जिसका वाद सं0–48R27/1983-84 जिसकी स्वीकृति दिनांक 01.07.1983 को बिना कोई आपत्ति के हुई।
3. विपक्षी प्रश्नगत् भूमि को रैयती हासिल करने के पश्चात् से अब तक बिना किसी आपत्ति के मालगुजारी रसीद कटवा रहे है।

अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी विनोद टेटे, पिता–स्व0 कन्दरा टेटे, ग्राम–कोलेबिरा, थाना–कोलेबिरा, जिला–सिमडेगा द्वारा प्रश्नगत् भूमि के आलोक में जमीन के खरीदगी संबंधी कागजात/दाखिल खारिज वाद सं0–48R27/1983-84 एवं लगान रसीद की छायाप्रति समर्पित किया गया है। आवेदक मनोज खड़िया पिता–स्व0 फागु खड़िया ग्राम–कोलेबिरा पुजारटोली, अंचल–कोलेबिरा, थाना–कोलेबिरा, जिला–सिमडेगा द्वारा आवेदित भूमि के आलोक में किसी प्रकार का आवश्यक कागजात एवं जवाब दाखिल स्वयं के द्वारा और न ही अपने अधिवक्ता के माध्यम से किया है। प्रतिवादी विनोद टेटे खाता–225, 226 के रैयत है। ये खतियानी रैयत के वंशज है। उपरोक्त स्थिति से मै संतुष्ट हूँ कि इस लिए CNT ACT की धारा 71A के तहत् विपक्षी के पक्ष में उपरोक्त वर्णित जमीन को वापस Restore करने का आदेश देता हूँ।

अंचल अधिकारी, कोलेबिरा को निर्देश दिया जाता है कि 90 दिनों के पश्चात् विपक्षी को दखल देहानी दिलाकर न्यायालय को सूचित करेंगे।

अंचल अधिकारी, कोलेबिरा को निदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित प्रक्रिया की जमीन पर विपक्षी को दखल देहानी ससमय करते हुए इस न्यायालय को प्रतिवेदित करें।

थाना प्रभारी, कोलेबिरा को इस आदेश की प्रति देते हुए निदेशित किया जाता है कि अंचल अधिकारी, कोलेबिरा की उपस्थिति में दखल–देहानी कराना सुनिश्चित करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल पदाधिकारी
सिमडेगा।

अनुमण्डल पदाधिकारी
सिमडेगा।

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR
Date: 2022.10.13 16:57:17 +05:30
Location: 192.168.202.80

Scanned with CamScanner